संख्याः–क0नि0–2– 2134 /ग्यारह–2–09–9(81)/91

प्रेषक,

देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊः:दिनांकः: 31 दिसम्बर, 2009

विषयः– दिनांक 01.01.2008 से 31.05.2008 तक की अवधि में चर्म वस्तु निर्यातमूलक निर्माता व्यापारी द्वारा अपने विनिर्माण में उपयोग हेतु किसी स्थानीय क्षेत्र में मंगाये गये/लाये गये अथवा किसी चमड़ा व्यापारी द्वारा किसी चर्म वस्तु निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी को उसी रूप एवं दशा में विक्रय के लिये स्थानीय क्षेत्र में मंगाये गये/लाये गये तैयार चमड़ा पर प्रपत्र 3ख में घोषणा प्रस्तुत न करने पर देय प्रवेशकर एवं उस पर देय ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन की विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–3842/ग्यारह– 9(81)/91–उ0प्र0अधि0–12–2000–आदेश–(29)–2003 दिनांक 14.8.2003 तथा विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–3843/ग्यारह–9(81)/91–उ0प्र0अधि0–12–2000–आदेश–(30)–2003 दिनांक 14.08.2003 द्वारा उनमें अंकित शर्तों के अधीन तैयार चमड़ा पर प्रवेश कर से छूट दी गई थी।

2. उक्त विज्ञप्तियों में तैयार चमड़ा पर प्रवेश कर से छूट के लिये निर्धारित शर्तों में एक शर्त यह थी कि निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी विक्रेता व्यापारी को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में यथाविहित प्रपत्र 3–ख में घोषणा जारी करेगा। 01 जनवरी, 2008 से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू होने के साथ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम निरसित हो गया एवं प्रपत्र 3–ख प्रभावी नहीं रह गया। इसके बाद अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1609/ग्यारह–9(2)/08–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(24)–2008 दिनांक 30.05.2008 द्वारा दिनांक 01.06.2008 से तैयार चमड़ा पर प्रवेश कर की देयता समाप्त कर दी गई है। फलस्वरूप दिनांक 01.01.2008 से

दिनांक 31.05.2008 तक की अवधि में प्रपत्र 3–ख के अभाव में उक्त निर्माता निर्यातकों के विनिर्माण में उपयोगार्थ तैयार चमड़ा पर प्रवेश कर की देयता आकर्षित हो रही है।

3. उपर्युक्त के संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 2008 से दिनांक 31 मई, 2008 की अवधि में चर्म वस्तु निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी द्वारा अपने विनिर्माण में उपयोग हेतु किसी स्थानीय क्षेत्र में मंगाये गये/लाये गये अथवा किसी चमड़ा व्यापारी द्वारा किसी चर्म वस्तु निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी को उसी रूप एवं दशा में विक्रय के लिये स्थानीय क्षेत्र में मंगाये गये/लाये गये तैयार चमड़ा पर केवल प्रपत्र 3ख में घोषणा प्रस्तुत करने की शर्त न पूरी करने (शेष शर्तें पूरी करते हुए) पर देय प्रवेशकर एवं उस पर नियमानुसार देय ब्याज माफ कर दिया जाय। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

4. कृपया तदनुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

प0स0-विधि-2(1)-चमड़ें पर प्रवेश कर -107-(09-10)/ 1613/ 0910072 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि-अनुभाग)
लखनऊ::दिनॉक::जनवरी 06, 2010

प्रतिलिपि समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को शासन के उपरोक्त पत्र दिनॉक 31-12-09 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि इस पत्र की पर्याप्त मात्रा में फोटो प्रतियॉ करवाकर तदनुसार अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

6/1/10
(वाई0एस0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उत्तरप्रदेश।